

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01122023-250329
SG-DL-E-01122023-250329असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2023/अग्रहायण 9, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 317
No. 351]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2023/AGRAHAYANA 9, 1945	[N. C. T. D. No. 317

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 30 नवम्बर, 2023

सं.फा.1/11/2010-न्यायिक/ 1976-1978—सार्वजनिक सूचना के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है:—

विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 8(ए) में अन्तर्विष्ट अनुबन्धों का अनुसरण करते हुए दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम 2002 जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, अधिनियमन 1998 के अधिनियम 3(3) के साथ पढ़ते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय / मुख्य संरक्षक, दि.रा.वि.सेवा.प्रा. के दिनांक 19.09.2023 के आदेश से दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के मनोनीत सदस्यों के अवधि दिनांक 25.09.2023 से अगले एक वर्ष तक के लिए सहर्ष बढ़ाई जाती है।

क्रम सं.	नामित सदस्य का नाम	वर्ग / अधिनियम जिसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है।
1.	श्री अशोक कुमार, कार्यकारी निदेशक, डा. ए. वी. बलिगा मेमोरियल ट्रस्ट	अधिनियमन के वर्ग 3(3) (ए) के अंतर्गत

2.	सुश्री रेबिका एम. जान, वरिष्ठ अधिवक्ता	अधिनियमन के वर्ग 3 (3) (बी) के अंतर्गत
3.	श्री रमेश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता	अधिनियमन के वर्ग 3 (3) (बी) के अंतर्गत
4.	डा. जितेन्द्र नागपाल, वरिष्ठ परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य मूलचंद मेडीसिटी	अधिनियमन के वर्ग 3 (3) (सी) के अंतर्गत
5.	प्रो.(डा.) जी. एस. बाजपई, उप-कुलपति और विधि प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली	अधिनियमन के वर्ग 3 (3) (डी) के अंतर्गत

आदेशानुसार माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय,
भरत पाराशर, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 30th November, 2023

No. F.1/11/2010-Judl./1976-1978—The following is hereby published for general information of the Public:—

In pursuance to the provision contained in section 8A of Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 read with Regulations 3 (3) of High Court Legal Service Committee, Regulations 1998, the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi/Patron-in-Chief, DSLSA vide his Lordship's orders dated 19.9.2023 has been pleased to extend the term of existing nominated Members for another period of one year w.e.f. 25.09.2023 in respect of Delhi High Court Legal Services Committee.

S. No.	Name of Nominated Member	Category/Regulation under which appointed
1.	Mr. Ashok Kumar, Executive Director, Dr. A. V. Baliga Memorial Trust	Under Category 3 (3) (a) of the Regulations.
2.	Ms. Rebecca M. John, Senior Advocate	Under Category 3 (3) (b) of the Regulations.
3.	Mr. Ramesh Singh, Senior Advocate	Under Category 3 (3) (b) of the Regulations.
4.	Dr. Jitendra Nagpal, Senior Consultant-Mental Health, Moolchand Medicity	Under Category 3 (3) (c) of the Regulations.
5.	Prof. (Dr.) G.S. Bajpai, Vice Chancellor and Professor of Law, National Law University, Delhi	Under Category 3 (3) (d) of the Regulations.

By Orders of Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi,
BHARAT PARASHAR, Pr. Secy.